# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी–गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या : – डिक्री 62 सन् 2021**

**पंजीयन दिनांक :– 24.08.2021**

1. ताराचन्द्र पिता जानीराम – मृतक के बजाय
   1/1. दीपक पिता ताराचन्द्र निवासी हुडको कालोनी जिला नीमच (म0प्र0)
2. दिनेश पिता जानीराम सिंधी निवासी हुडको कालोनी जिला नीमच (म0प्र0)
3. मीनादेवी पुत्री जानीराम सिंधी निवासी हुडको कालोनी जिला नीमच (म0प्र0)
4. रूकमणदेवी पुत्री जानीराम सिंधी निवासी हुडको कालोनी जिला नीमच (म0प्र0)
5. जितेन्द्रकुमार पिता रमेशचन्द्र सिंधी निवासी हुडको कालोनी जिला नीमच (म0प्र0)
6. दिलीपकुमार पिता रमेशचन्द्र सिंधी निवासी हुडको कालोनी जिला नीमच (म0प्र0)
7. दीक्षाकुमारी पिता रमेशचन्द्र सिंधी निवासी हुडको कालोनी जिला नीमच (म0प्र0)
8. पुष्पादेवी बेवा रमेशचन्द्र सिंधी निवासी हुडको कालोनी जिला नीमच (म0प्र0)
9. सीतादेवी बेवा रमेशचन्द्र सिंधी निवासी हुडको कालोनी जिला नीमच (म0प्र0)

–अपीलांट्गण

**विरूद्ध**

1. राजाराम पिता भंवरलाल कुमावत निवासी अचारी तहसील छोटीसादड़ी
2. जगदीश पिता भंवरलाल कुमावत निवासी अचारी तहसील छोटीसादड़ी
3. गणपत पिता भंवरलाल कुमावत निवासी अचारी तहसील छोटीसादड़ी
4. देवीलाल पिता केशुराम कुमावत निवासी अचारी तहसील छोटीसादड़ी
5. दशरथ पिता केशुराम कुमावत निवासी अचारी तहसील छोटीसादड़ी
6. भूमिधारी तहसीलदार छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़

–रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी
प्रकरण संख्या 36/2017 रेवेन्यू वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.02.2018

वक्त बहस उपस्थितः–1. चन्दनमल जणवा – अधिवक्ता अपीलान्ट्गण
2. सोहनलाल जणवा– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5
3. पूरणमल स्वर्णकार– राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 6

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

# निर्णय

दिनांक :- 28.07.2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने प्रतिवादीगण अपीलांटगण के विरूद्ध वादपत्र धारा 88,188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अचारी तहसील छोटीसादड़ी की आराजी नम्बर 242 व 210 कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा रजिस्टर्ड दस्तावेज से स्व0 नारायणदास पिता विरूमलजी सिंधि निवासी बघाना नीमच(म0प्र0) से 800 रूपये में क्रय की थी। वादीगण रेस्पोडेंटगण के पिता भंवरलाल व केशुराम उक्त आराजी पर मालिकाना काबिज थ जिनके स्वर्गवास के बाद वादीगण रेस्पोडेन्टगण इस आराजीयात के मालिक व काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। तहसील छोटीसादड़ी तथा सेटलमेंट विभाग द्वारा पैमाईश के दौरान आराजी नम्बर 242 व 210 के नये नम्बर 612 व 613 पर वादीगण रेस्पोडेन्टगण के पिता के नाम सहवन से दर्ज नहीं की। अपीलांटगण प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजीयात का गलत वाद पेश कर डिक्री व इजराय पेश कर राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज करा ली।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार कर विवादित आराजीयात में से प्रतिवादीगण अपीलांटगण के नाम विलोपित करने के निर्णय व डिक्री पारित की। जिससे असंतुष्ट होकर प्रतिवादीगण अपीलांटगण ने इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की।

अपीलांटगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण वादीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुये। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस नियत की गई।

अपीलांटगण प्रतिवादीगण द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा बहस प्रस्तुत की गई।

दौराने बहस अपीलांट के अधिवक्ता की तरफ से अपील मेमो के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अवैध है। दावा में आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया। सम्मन तामिल प्रोपर नही हुये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने के दौरान कई तकनीकी खामियां भी की एवं महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की अतः निर्णय निरस्त किया जाये एवं अपील स्वीकार की जाये।

राजस्व अपील प्राधिकारी

प्रत्युतर में अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बताया कि अपील 3 वर्ष से अधिक विलम्ब से पेश की गई है अतः इस बिन्दु पर अपील निरस्त की जाये। सम्मन लेने से इनकार किया। इससे सम्मन तामिल ही माने जायेंगे। मृतक के वारिसान पहले से ही रिकार्ड पर थे अतः दावा अबेट नहीं होता है। प्रदर्श पर हस्ताक्षर है अतः अपील खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सहित अपील के समस्त दस्तावेजों का अध्ययन किया। अपील के दौरान महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन की तामिल उचित ढंग से विधि अनुसार करवाई गई है? इस प्रश्न के प्रत्युतर में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि दिनांक 21.06.2017 को प्रकरण दर्ज कर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 20.02.2018 की आदेशिका में स्पष्ट है कि सम्मन लौटकर आये एवं लेने से इनकार किया। सम्मन रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किये गये थे। इन पर Refused अंकित है। अतः स्पष्ट है कि सम्मन लेने से इंकार करना भी तामिल की श्रेणी मे माना जाता है।

अपीलांट का यह कथन कि वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन तामिल नहीं करवाये व इनकी अनुपस्थिति में विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय व डिक्री पारित कर दी साबित नहीं होता है। अपील का दूसरा आधार यह था कि प्रतिवादीगण सीताबाई व ताराचन्द्र का देहान्त वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही हो गया था। रेस्पोडेंट का कथन है कि इनके वारिसान पूर्व से ही रिकोर्ड पर थे अतः मृत व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री होने का असर नहीं होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण में अपीलांट द्वारा न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2021(2) पेज 1026 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर, आर.आर.टी 2017(2) पेज 1047 सर्वोच्च न्यायालय, आर.आर.टी. 2011(2) पेज 1350 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर एवं आर.आर.टी. 2023(1) पेज 197 राजस्थान हाइकोर्ट पेश किये जिनका अध्ययन किया गया।

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगणों को सम्मन रजिस्टर्ड डाक से विधिवत प्रेषित किये गये थे परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा इसे लेने से इंकार किया जिसके कारण इनकी न्यायालय में उपस्थिति नहीं हुई एवं वैध तरीके से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया एवं विधिवत सुनवाई कर निर्णय व डिक्री पारित किये गये। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना-पत्र के अवलोकर से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र की कलम संख्या 2 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को वाद की सूचना नही देने का कथन किया है जबकि यहां पूर्व में यह सिद्ध हो चुका है कि विधिसम्मत तामिल करवाई गई। अतः यहां बिना सूचना के वाद में एकतरफा कार्यवाही का कथन साबित नहीं होता है। प्रार्थना-पत्र की कलम संख्या 3 में इनके द्वारा कानूनी अनभिज्ञता होने एवं वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी

आराजी पर निवास नही कर मध्य प्रदेश में अन्य स्थानो पर निवास का हवाला दिया है। इसका वाद पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इनको द्वारा दिनांक 13.07.2021 को नकल आवेदन करने एवं नकले दिनांक 20.07.2013 को प्राप्त करने का कथन किया है जो समझ से परे है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 भारतीय परिसीमा अधिनियम में ऐसे कोई ठोस कारण नहीं दिये है जिससे इनका प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य किया जा सके।

अपीलांट द्वारा 3 वर्ष से अधिक अवधि पर अपील प्रस्तुत करने के विलम्ब में ठोस एवं तर्कसंगत कारण प्रस्तुत नहीं किये अतः इनका प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम सारहीन होने से खारिज करने का निर्णय लिया गया।

फलस्वरूप अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने से निरस्त करने का निर्णय लिया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

28/7/2023

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ (राज.)

संख्यांक 9

## अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- गितेश श्री मालवीय, (आर.ए.एस)

अपील सं.:- 62/2021/डिक्री पंजीयन दिनांकः- 24.08.2021

1. ताराचन्द्र पिता जानीराम - मृतक के बजाय
   1/1. दीपक पिता ताराचन्द्र निवासी हुडको कालोनी जिला नीमच (म0प्र0)
2. दिनेश पिता जानीराम सिंधी निवासी हुडको कालोनी जिला नीमच (म0प्र0)
3. मीनादेवी पुत्री जानीराम सिंधी निवासी हुडको कालोनी जिला नीमच (म0प्र0)
4. रूकमणदेवी पुत्री जानीराम सिंधी निवासी हुडको कालोनी जिला नीमच (म0प्र0)
5. जितेन्द्रकुमार पिता रमेशचन्द्र सिंधी निवासी हुडको कालोनी जिला नीमच (म0प्र0)
6. दिलीपकुमार पिता रमेशचन्द्र सिंधी निवासी हुडको कालोनी जिला नीमच (म0प्र0)
7. दीक्षाकुमारी पिता रमेशचन्द्र सिंधी निवासी हुडको कालोनी जिला नीमच (म0प्र0)
8. पुष्पादेवी बेवा रमेशचन्द्र सिंधी निवासी हुडको कालोनी जिला नीमच (म0प्र0)
9. सीतादेवी बेवा रमेशचन्द्र सिंधी निवासी हुडको कालोनी जिला नीमच (म0प्र0)

-अपीलांट्गण

बनाम

1. रोजाराम पिता भंवरलाल कुमावत निवासी अचारी तहसील छोटीसादड़ी
2. जगदीश पिता भंवरलाल कुमावत निवासी अचारी तहसील छोटीसादड़ी
3. गणपत पिता भंवरलाल कुमावत निवासी अचारी तहसील छोटीसादड़ी
4. देवीलाल पिता केशुराम कुमावत निवासी अचारी तहसील छोटीसादड़ी
5. दशरथ पिता केशुराम कुमावत निवासी अचारी तहसील छोटीसादड़ी
6. भूमिधारी तहसीलदार छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़

-रेस्पोडेन्ट्गण

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी प्रकरण संख्या 36/2017 निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2018 अन्तर्गत धारा 88,188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 28.07.2023 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता चन्दनमल जणवा, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता सोहनलाल जणवा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय अधिवक्ता पूरणमल स्वर्णकार की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि-

अपीलांट द्वारा 3 वर्ष से अधिक अवधि पर अपील प्रस्तुत करने के विलम्ब में ठोस एवं तर्कसंगत कारण प्रस्तुत नहीं किये। अतः इनका प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम सारहीन होने से खारिज करने का निर्णय लिया गया।

अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने से निरस्त करने का निर्णय लिया जाता है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि 0 रूपये है,..... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ..... द्वारा दिये जाने हैं ।

यह आज दिनांक 28.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

28/7/2023

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौड़गढ